



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title: प्रेस विज्ञप्ति

Reference No.:---

Date: 27/03/2020

मोटर तृतीय पक्ष देयता बीमा कवर

प्रेस विज्ञप्ति
Press Release

संदर्भ सं.:-- दिनांक : 27-03-2020

Ref. No:-- Date : 27-03-2020

मोटर तृतीय पक्ष देयता बीमा कवर
Motor Third Party Liability Insurance Cover

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने यह अधिसूचित करते हुए आदेश दिनांकित 27 मार्च 2020, जारी किया है कि वर्ष 2019-20 के लिए निर्दिष्ट मोटर तृतीय पक्ष देयता बीमा कवर के लिए प्रीमियम दरों की वैधता, अगली सूचना तक 31 मार्च, 2020 के बाद तक बढ़ा दी गयी है। तदनुसार, सभी बीमाकर्ता 1 अप्रैल, 2020 से अगले आदेशों तक मोटर तृतीय पक्ष देयता बीमा कवर के लिए वर्तमान दरें लगाना जारी रखेंगे।

The Insurance Regulatory and Development Authority of India has issued Order dated 27th March, 2020 notifying that the validity of premium rates for Motor Third Party Liability Insurance Cover set out for the year 2019-20 stands extended beyond 31st March, 2020 until further notice. Accordingly, all insurers shall continue to charge the rates currently being charged for Motor Third Party Liability Insurance Cover from 1st April, 2020 onwards until further orders.

दिनांक : 27 मार्च, 2020

Date : 27th March, 2020